कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 403 / भू.अभि. / बेव.जी.आई.एस. 2023 अशोकनगर दिनांक 11 / 05 / 2023

प्रति,

तहसीलदार,
तहसील अशोकनगर / चन्देरी / मुंगावली / ईसागढ / शाढोरा / नईसरांय / पिपरई / बहादुरपुर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

विषय :– भू–अभिलेख के कम्प्यूटराईज डाटावेस में डाटा परिमार्जन के संबंध में।
संदर्भ :– कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख म.प्र. के पत्र क्रमांक / 156 / 9–कम्प्यूटर / एन.एल.आर.एम..पी. / बेव जी.आई.एस. / 2023 ग्वालियर दिनांक 01 / 05 / 2023

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में भू–अभिलेख के कम्प्यूटराईज डाटावेस में डाटा परिमार्जन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी हुये है, जो पत्र के संलग्न आपकी ओर भेजे जा रहे हैं। जिसके अनुसार प्रत्येक संयुक्त खाते में सह खातेदारों के नामों की एक साथ एक ही जगह पर प्रविष्टि होने से उनकी पृथक–पृथम एण्ट्री की जाना है, अब नवीन निर्देशों के अनुसार हिस्से की बाद्ययता को समाप्त किया गया है किन्तु यदि पटवारी के द्वारा डाटा परिमार्जन करते समय हिस्सा का चुनाव एवं अनिर्धारित हिस्से का चुनाव एक साथ किया जाता है तब इस स्थिति में उक्त सर्वे नम्बर में डाटा परिमार्जन का कार्य पूर्ण नही होगा, दोनों स्थिति में किसी एक ऑप्सन का चुनाव किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि डाटा परिमार्जन की प्रक्रिया हेतु प्रत्येक पटवारी का दिनांक वार एवं ग्रामबार रोस्टर तैयार किया जाकर दिये गये निर्देशानुसार उक्त कार्य को 15 दिवस में प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छाया प्रति।

11/05/2023

अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ क्रमांक / 404 / भू.अभि. / बेव.जी.आई.एस. 2023 अशोकनगर दिनांक 11 / 05 / 2023
प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान आयुक्त भू–अभिलेख म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. उप–आयुक्त ग्वालियर क्षेत्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अशोकनगर / चन्देरी / मुंगावली / ईसागढ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/05/2023

अपर कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक 156 /9-कम्प्यूटर/NLRMP/Web GIS/2023 ग्वालियर, दिनांक 01/09/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- समस्त
मध्यप्रदेश ।

विषय :- भू-अभिलेख के कम्प्यूटराइज डाटाबेस में डाटा परिमार्जन के संबंध में।

सन्दर्भ :-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, आदेश क्रमांक 71/सात-6/2018 दिनांक 24/01/2018 एवं परिपत्र क्रमांक- 839/9-कम्प्यूटर/NLRMP/Web GIS/2018, दिनांक-26/03/2018 ।

--00--

संदर्भित परिपत्र क्रमांक- 839/9-कम्प्युटर/NLRMP/WebGIS/2018, दिनांक-26/03/2018 को संशोधित करते हुए डाटा परिमार्जन की प्रक्रिया को WebGIS मे लागू करने हेतु निम्नानुसार नवीन संशोधित निर्देश जारी किये जा रहे हैं, कृपया निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित करें:-

1. **<u>संयुक्त खाते में सह-खातेदारों की खसरा में हिस्सा प्रविष्टि:-</u>**

- एक से अधिक भूमिस्वामी होने पर एवं हिस्सा स्पष्ट न होने की स्थिति में खाते का निर्धारण भूमिस्वामी का हिस्सा अंकित करने के स्थान पर "अनिर्धारित हिस्सा" चयनित किया जाकर तद्नुसार प्रविष्टि की जावे।
- खसरा में भूमिस्वामीवार या परिवार को इकाई मानते हुए हिस्सा निर्धारण किया जावे।
- आवेदक द्वारा उक्त खसरों पर भविष्य में भू-अभिलेख में नामांतरण/ बटवारा, त्रुटिसुधार, नक्शा सुधार आदि हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आवेदकों की सहमति से हिस्सों की प्रविष्टि की जावे।
- स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया में नवीन स्वत्व अधिकार प्राप्त होना या प्राप्त स्वत्व अधिकार के बटवारा की कार्यवाही नहीं की जा रही है|

2. **<u>नामांतरण/बटवारा, भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार हेतु तकनिकी समस्या निदान:-</u>**

डाटा परिमार्जन उपरान्त खसरा पर नामांतरण/बटवारा, भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार, नक्शा सुधार आदि हेतु कठिनाई कम उत्पन्न होगी| तकनीकी समस्या होने पर उसके निदान हेतु WEBGIS सॉफ्टवेयर में उपलब्ध "Grievance" मॉड्यूल का उपयोग कर समस्या (24X7) दर्ज (Ticket raise) कराया जाना सुनिश्चित किया जावे| शिकायत दर्ज करने उपरान्त आपको उसका तकनीकि निदान नियत समयावधि में किया जायेगा| किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा दिया

गया रिक्वेस्ट/आवेदन, तकनीकी समस्या के कारण दो सप्ताह से ज्यादा लंबित नहीं होना चाहिए। तकनीकी समस्या के कारण आवेदन लंबित होने की स्थिति में शिकायत दर्ज नहीं होने पर सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी मान अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. **<u>डाटा परिमार्जिन दौरान प्रतिलिपि प्रदान किया जाना</u>**:- डाटा परिमार्जिन की प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को दी जानेवाली सुविधाएं (खसरा, बी-१, नक्शा प्रतिलिपि, नामांतरण, बटवारा, भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार, नक्शा सुधार आदि) निरंतर चालू रहेंगी। इस कार्य हेतु एक कंप्यूटर पृथक से रखा जायेगा। तकनीकि समस्या के निदान हेतु टोल फ्री न. 18002336763 पर कॉल (प्रातः 10:00 से सांय 06:00 तक) किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा दिया गया रिक्वेस्ट/आवेदन दो सप्ताह से ज्यादा लंबित नहीं होना चाहिए।

4. **<u>डाटा परिमार्जिन की प्रक्रिया हेतु</u>** - प्रत्येक पटवारी का दिनांकवार एवं गावँवार रोस्टर, WEBGIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही तैयार किया जाए ताकि पटवारी द्वारा किये गए कार्य की समीक्षा की जा सके। इस हेतु WEBGIS में MIS रिपोर्ट्स उपलब्ध है। डाटा परिमार्जिन के दौरान समस्त खसरों का डाटा परिमार्जिन किया जाना आवशयक है।

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 548 दिनांक 27/02/2018 से जारी निर्देश पूर्ववत रहेंगे। इस पत्र के साथ संलग्न समय सारणी अनुसार कार्यवाही करना एव की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 156/9-कम्प्यूटर/NLRMP/Web GIS/2023 ग्वालियर, दिनांक 01.05.2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव राजस्व, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागीय आयुक्त, संभाग-समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु।
3. मेसर्स भोपाल ई-गवर्नेन्स लिमिटेड, HIG-4 (2nd Floor), कल्पतरू, ग्रीन मीडोज कॉलोनी, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवशयक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश